

निलाम पत्र पदाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला

211

CLOSE
20/10/22

State Bank of India

Raharwan

क्रमांक - 2 Ganesh Chandas Mandel

आदेश फलक

आदेश पत्र तारीख.....

जिला- सरायकेला-खरसावाँ

केस के प्रकार :-

से.....

संख्या :- 16(S.B.1)

निलाम पत्र :- 2020-2021 2020
17387/-

आदेश की क्रम
सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की हुई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

13.09.2020

अधियाची पदाधिकारी State Bank of
India, Raharwan द्वारा दायर अधि-

याचना देखा। लोक मांग अधिनियम के धारा-5 के अन्तर्गत

देनदार Ganesh Chandas Mandel

पिता- Hare Krishan Mandel

पता- Bhaergoda

पत्रालय- Raharwan थाना Raharwan

जिला-सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध रकम 17,387/-
seventeen thousand three hundred and eighty seven rupees एवं सुली हेतु अधियाचना


किए हैं।

देनदार को लोक मांग अधिनियम की धारा-7
के अन्तर्गत सूचना निर्गत करें एवं पंजी X में दर्ज करें।

दिनांक 13.10.2020

को अभिलेख प्रस्तुत करें।

निलाम पत्र पदाधिकारी,
सरायकेला

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख सहित 3
	<p>अधिकाथी पदाधिकारी सह-शाखा प्रबंधक State Bank of India - Khajurawar Branch के Letter No SBI/KSN/BM-21/2022-23 दिनांक 27/3/2022 के अलोक में देवदार के साथ सम्झौता के तहत लोन खाता बंद होने की सूचना दी गई है। अतः अधिकाथी की कारवाई कृपया की जाती है।</p> <p> नीलम पत्र पदाधिकारी बगलकेल</p>	